# निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 272/2020 तारीख दायरा 9/11/2020

उनवान

1. ओमप्रकाश उम्र 33वर्ष पुत्र मदनलाल जाति किराड
2. कन्हैयालाल उम्र 25वर्ष पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
3. बृजेशबाई उम्र 38वर्ष पुत्री मदनलाल पत्नी हंसराज जाति किराड निवासी श्रीजी के मंदिर की गली सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. फूलन्ताबाई उम्र 35वर्ष पुत्री मदनलाल पत्नी मनोज जाति किराड निवासी कोटा जिला कोटा
5. भूलीबाई उर्फ वन्दना पुत्री मदनलाल पत्नी दीपक जाति किराड निवासी भानपुरा बस स्टेण्ड के पास खैराबाद रोड रामगंजमंडी जिला कोटा।
6. चन्द्रकान्ता पत्नी मदनलाल जाति किराड
7. मथुरीबाई पत्नी मदनलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
8. नखलेशबाई पुत्री मदनलाल पत्नी नरेश कुमार जाति किराड निवासी ग्राम बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा
9. मनभर पुत्री मदनलाल पत्नी हरिराम जाति किराड निवासी ग्रणम बोरीनाकलॉ तहसील सांगोद जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. बृजबिहारी पुत्र भवानीशंकर जाति किराड
2. सुरेश पुत्र भवानीशंकर जाति किराड
3. रमेश कुमार पुत्र भवानीशंकर जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांगोद

— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर टी एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनॉक :– 18.11.2020
श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद में खसरा न0189 की 0.11हैक्टर, खसरा न0196 की0.932हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर, खसरा न0309 की 1.70हैक्टर, खसरा न0313 की 0.08हैक्टर, खसरा न0314 की 0.01हैक्टर, खसरा न0323 की 0. 93हैक्टर, खसरा न0647 की 0.15 हैक्टर, खसरा न0651 की 0.25हैक्टर, इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 4.30 हैक्टर कृषि भूमि स्थित रही है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण, प्रतिवादी कम 1,2,3 के पिता भवानीशंकर व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। उक्त कृषि भूमियो के अतिरिक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे की ग्राम कोटडी में भी कृषि भूमियां स्थित रही है।

उक्त समस्त कृषि भूमियों का वादीगण, प्रतिवादी कम 1,2,3 व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौके अनुसार विभाजन करने का विचार करने पर उन्होनें आपसी सहमति से दिनांक 30.6.2016 को ग्राम कोटडी व ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित कृषि भूमियों का विभाजन पत्र तैयार करवाया था, आपसी सहमति से विभाजन के वक्त यह तय हुआ था कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित अन्य कृषि भूमियों के साथ खसरा न0196 की 0.92हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर, खसरा न0651 की 0.25हैक्टर इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 1.32हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2, तथा प्रतिवादी कम 1,2,3, का हिस्सा 1/2 रहेगा। तथा वादीगण के हिस्से में अपने 1/2 हिस्से के अनुकम में खसरा न0196 की 0.92हैक्टर भूमि मे से 0.53हैक्टर पूर्वी तरफ तथा खसरा न0651 की 0.25हैक्टर मे से 0.1[illegible] [illegible]र्वी तरफ, की भूमि आयेगी, इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1,2,3 के हिस्से मे [illegible] सम्पूर्ण व खसरा न0196 की 0.92हैक्टर में से 0.39हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0 6[illegible] की 0.25 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.12हैक्टर कृषि भूमि आयेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कम 1ता3 उक्त कृषि भूमियों में मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, अपनी अन्य कृषि भूमियों के साथ साथ उक्त कृषि भूमि में भी बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए वादीगण कम1,2 ने अपने खाते की नकल प्राप्त की, तो उनकी जानकारी में आया कि उक्त खसरा न0196,197 व खसरा न0651 की सम्पूर्ण 1.32हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि उक्त समस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी कम 1ता3 के नाम से दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि बाद विभाजन वादीगण के नाम से दर्ज होनी थी, उक्त त्रुटि का पता लगने पर वादीगण ने आपसी सहमति से हुए विभाजन पत्र की नकल प्राप्त की, तो उनकी जानकारी में आया कि सहवन से लिखते समय ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित उक्त खसरा न0196 की 0.92हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 1,2,3 के हिस्से में आना लिख दिया गया है, जबकि उक्त भूमि में से आधी कृषि भूमि वादीगण के नाम से खाते में दर्ज होनी थी, उक्त गलती का पता लगने पर वादी कम1,2 ने प्रतिवादी कम1,2,3 से उक्त गलती को राजस्व रेकार्ड में दुरस्त करवाने को कहा व आधी कृषि भूमि की मंगनी की, तो प्रतिवादी कम 1,2,3 ना नुकर करने लग गये। इसलिए वादीगण के लिए उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण चाहते है कि उक्त कृषि भूमि में से वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर, घोषणा के अनुकम में 1/2 हिस्से की भूमि को प्रथक से वादीगण के नाम से दर्ज की जावें एवं उक्तानुसार वादीगण के हिस्से आने वाली कृषि भूमियों का विभाजन किया जावें। यही इस वाद की विषय वस्तु है। वादी सं. 5 का नाम इन्तकाल में भूलीबाई है जो कि बचपन का नाम है, जिसे शुद्धी किया जाकर वन्दना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद कारण दिनांक 28.10.2020 को उत्पन्न हुआ, जब वादीगण ने अपनी कृषि भूमि के खाते की नकल प्राप्त की, और उसमें स्वयं का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी मिली।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी कम 1,2,3 के विरूद्व घोषणात्मक आज्ञप्ति की डिक्री पारित फ[illegible]र ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद में स्थित खसरा [illegible] 0.92हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर इस प्रकार [illegible] किता 3 की कुल 1.32हैक्टर कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमियों के सन्दर्भ में दिनांक 21.6.2016 को निष्पादित विभाजन पत्र को खसरा न0196

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

की 0.92हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर के सन्दर्भ तक शून्य घोषित किया जाकर उक्त खसरा न0196,197,651 की कृषि भूमि में प्रतिवादी कम1,2,3 के साथ वादीगण को समभाग मे (वादीगण हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी कम1,2,3 हिस्सा 1/2) दर्ज किया जावें।उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त किया जावें। वादिनी सं. 5 का नाम रेकार्ड में भूलीबाई के स्थान पर वन्दना दर्ज किया जावें।

ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0196 की 0.92 हैक्टर, खसरा न0197 की 0.15हैक्टर व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर कृषि भूमियों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर एवं खसरा न0197 की 0.15हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0196 की 0.92हैक्टर में से 0.39हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर में से 0.12हैक्टर पश्चिमी प्रतिवादी कम 1,2,3 के खाते में प्रथक से दर्ज की जावें, इसी प्रकार खसरा न0196 की0.92 हैक्टर में से 0.53हैक्टर पूर्वी व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर में से 0.13हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि को वादीगण के नाम से खाते में दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1ता3 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। वकील वादी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया। वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो दस्तावेज एवं इकबाली जवाब, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0197 की 0.15हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा न0196 की 0.92हैक्टर में से 0.39हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर में से 0.12हैक्टर पश्चिमी प्रतिवादी कम 1,2,3 के खाते में प्रथक से दर्ज की जावें, इसी प्रकार खसरा न0196 की 0.92 हैक्टर में से 0.53हैक्टर पूर्वी व खसरा न0651 की 0.25हैक्टर में से 0.13हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि को वादीगण के नाम से खाते में दर्ज किया जावें। वादिनी सं. 5 का नाम रेकार्ड में भूलीबाई के स्थान पर वन्दना दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से कृषि भूमि दर्ज कर उक्तानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वंय वहन करें। तदानुसार फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जावें एवं नम्बर से कम की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

निर्णय आज दिनॉक 18.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:06 IST
Reason: SelfAttested